प्रेसनोट दिनांक 07-08-2019 जनपद मुरादाबाद।

1- सुपारी लेकर व्यापारी की हत्या करने जा रहे 02 शातिर अपराधी पुलिस मुठभेड के पश्चात गिरफ्तारः-

दिनांक 06-08-2019 की रात्रि में समय लगभग 23.30 बजे थानाध्यक्ष गलशहीद मय हमराही पुलिस बल के सम्भल चौराहे पर चैकिंग कर रहे थे। चैकिंग के दौरान एक मोटर साइकिल सवार 02 संदिग्ध व्यक्ति आते देख पुलिस पार्टी द्वारा रुकने का संकेत दिया तो नही रुके और हनुमान मूर्ति की तरफ से पण्डित नगला रोड की तरफ भागने लगे। थाना कटघर पुलिस को सूचित कर थाना गलशहीद पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया। सामने से थाना कटघर पुलिस द्वारा घेराबन्दी की गयी। पुलिस से घिरता देख अनवर फार्म हाउस के पास कच्चे रास्ते पर मोटरसाईकिल मोड़ते समय संदिग्ध व्यक्तियों की मोटरसाईकिल फिसल गयी तथा उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरु कर दी गयी। पुलिस पार्टी द्वारा अपना बचाव करते हुये आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गयी। पुलिस पार्टी की जवाबी फायरिंग में अभियुक्तगण 1-आजिम पुत्र कल्लू निवासी राजा का मझोला थाना बहजोई जनपद सम्भल, 2-खालिद पुत्र इश्तियाक अली उर्फ बाबू निवासी ग्राम जनैटा थाना बनियाठेर जनपद संभल हाल निवासी मोहल्ला लक्ष्मणगंज थाना चंदौसी जनपद संभल पैर में गोली लगने से घायल हो गये। घायल अभियुक्तों को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल मुरादाबाद में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 05 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 03 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 मोबाइल, 01 अदद मोटरसाईकिल बुलेट बिना नम्बर बरामद किये गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि चोखेलाल निवासी ग्राम देहरी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ने उन्हें एक व्यापारी प्रेम सिंह निवासी ग्राम देहरी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा की हत्या करने हेतु 1,50,000/- रुपये में सुपारी दी थी, जिसकी वह हत्या करने जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त आजिम थाना बहजोई जनपद सम्भल का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। अभियुक्त आजिम के विभिन्न थानों में 16 अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त खालिद उपरोक्त के विरुद्ध विभिन्न थानों में 08 अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटघर पर मु0अ0सं0 510/19 धारा 307 भादवि व नाजायज असलाह बरामद होने के सम्बन्ध में अभियुक्त आजिम के विरुद्ध मु0अ0सं0 511/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट तथा अभियुक्त खालिद के विरुद्ध मु0अ0सं0 512/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा मोटरसाईकिल एवं मोबाईल बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 513/19 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411 भादवि पंजीकृत किया गया है।

2- जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर घायल करने में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना भोजपुरः-

दिनांक 23-06-2019 को वादी श्री मेंहदी हसन पुत्र बब्बू निवासी ग्राम अहमदपुर आनन्दपुर थाना भोजपुर ने अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डों से लैस होकर वादी के घर में घुसकर पुरानी रंजिश को लेकर वादी के भाई भोला उम्र नामलूम, भतीजे हसनैन व तसलीम के साथ गाली गलौच

करने व जान से मारने की नियत से तंमचे से फायर कर गम्भीर रूप से घायल कर देने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना भोजपुर में तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना भोजपुर में मु0अ0सं0-188/19 धारा 34/147/148/149/452/307/504/506 भादवि बनाम 08 व्यक्ति नामजद पंजीकृत किया गया। विवेचना से धारा 452 भादवि का अपराध होना नही पाया गया। उक्त घटना के क्रम में दिनांक 06-08-2019 को उ0नि0 श्री बृजकिशोर शर्मा थाना भोजपुर ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त रियाज अहमद उर्फ रियाजुद्दीन पुत्र आफताब हुसैन निवासी ग्राम अहमदपुर आनन्दपुर थाना भोजपुर को इस्लामनगर पैट्रोल पम्प के पास से समय 14.50 बजे गिरफ्तार किया। शेष नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

3- नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वाराः-

दिनांक 01-03-2019 को वादी .... निवासी क्षेत्रान्तर्गत थाना ठाकुरद्वारा ने अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री उम्र 17 वर्ष को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने तथा उसके साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा में तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा में मु0अ0सं0-80/19 धारा 363/366/376 भादवि व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट बनाम शिवम पुत्र पप्पू निवासी ग्राम खिदरपुर थाना शेरपुर जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 07-08-2019 को श्री करनपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना ठाकुरद्वारा ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त शिवम उपरोक्त को तिकोनिया बस स्टैण्ड कस्बा ठाकुरद्वारा से समय 09.15 बजे गिरफ्तार किया।

4- नाबालिग से छेडछाड करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, थाना डिलारीः-

आज दिनांक 07-08-2019 को वादिनी .... निवासी क्षेत्रान्तर्गत थाना डिलारी ने वादिनी के ट्यूशन जाते समय अभियुक्तगण द्वारा अपनी मोटर साइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये वादिनी का हाथ पकड़ लेने व कपड़े फाड़ने का प्रयास करने के सम्बन्ध में थाना डिलारी में तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना डिलारी में मु0अ0सं0-189/19 धारा 279/354ख/504/506 भादवि व धारा 16/17 पोक्सो एक्ट बनाम 02 व्यक्ति नामजद पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 07-08-2019 को ही उ0नि0 श्री अमित सिंह थाना डिलारी ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर नामजद अभियुक्त दाऊद पुत्र इस्माइल निवासी मौहल्ला फूलवार कस्बा व थाना डिलारी ने बस स्टैण्ड कस्बा डिलारी से समय 10-00 बजे गिरफ्तार किया। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

5- जान से मारने की नियत से चोट पहुंचाने के 02 आरोपी गिरफ्तार, थाना छजलैटः-

दिनांक 06-08-2019 को वादी श्री राहुल कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम लदावली थाना छजलैट ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में घुसकर जान से मारने की नियत से चोट पहुंचाने के सम्बन्ध में थाना छजलैट पर तहररी दी, जिसके सम्बन्ध में थाना छजलैट पर मु0अ0सं0 276/19 धारा 307, 452, 34 भादवि बनाम 03 अभियुक्त नामजद पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 07-08-2019 को उ0नि0 श्री ऋषि कपूर थाना छजलैट ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर

अभियुक्त 1-लोकेन्द्र उर्फ मोनू 2-विपिन पुत्रगण रमेश कुमार निवासी गण ग्राम लदावली थाना छजलैट को उनके घर से समय 10.05 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना पुलिस प्रयासरत है।

6- <u>गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार, थाना बिलारीः</u>-

दिनांक 31-07-2019 को श्री गजेन्द्र त्यागी प्रभारी निरीक्षक थाना बिलारी ने अभियुक्तगण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ कमाने के उददेश्य से चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित कर जनता में भय व आतंक व्याप्त करने के सम्बन्ध में थाना बिलारी में मु0अ0सं0-337/19 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट बनाम 1-अतुल पुत्र मनोज निवासी मोहल्ला कोरियान कस्बा व थाना बिलारी, 2-बन्टी पुत्र हरप्रसाद निवासी मोहल्ला हर्षनगर कस्बा व थाना बिलारी पंजीकृत कराया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 07-08-2019 को श्री गजेन्द्र त्यागी प्रभारी निरीक्षक थाना बिलारी ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त अतुल पुत्र मनोज उपरोक्त को उसके घर से समय 11-30 बजे गिरफ्तार किया। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

7- <u>चोरी की घटना में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना बिलारीः</u>-

दिनांक 05-07-2019 को वादी श्री हरकिशोर पुत्र महीलाल निवासी ग्राम हमजापुर थाना बिलारी ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर से 22 हजार 400 रुपये नगद, चांदी की दो जोड़ी पायल, सोने की चैन, पैरों की गुलशन पटटी व एक चांदी का गुच्छा कीमत नामालूम को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 260/19 धारा 380 भादवि बनाम 1-राजेश उर्फ राजू पुत्र छोटे लाल 2-राम किशन उर्फ मोती पुत्र गंगा सहाय निवासीगण ग्राम हमजापुर थाना बिलारी पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 07-08-2019 को उ0नि0 श्री उमेश चन्द थाना बिलारी ने मय हमराही पुलिसबल रात्रि गस्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त 1-राजेश उर्फ राजू 2-रामकिशन उपरोक्त को करसरा रोड पर शराब के ठेके के पास से समय 01.00 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा।

8- <u>लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने के प्रकाश में आया अभियुक्त गिरफ्तार, थाना बिलारीः</u>-

दिनांक 06-08-2019 को वादी पॉप सिंह पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम खाता थाना बिलारी ने छोटा हाथी नं0 यूपी 21 एएन 0389 के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी की बहन उम्र 23 वर्ष में टक्कर मार देना जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 345/19 धारा 279, 304ए भादवि बनाम छोटा हाथी नं0 यूपी 21 एएन 0389 का चालक नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 07-08-2019 को उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार थाना बिलारी ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर घटना के प्रकाश में आये अभियुक्त शाहिद पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी मोहल्ला व थाना गलशहीद को गांधी मूर्ति के पास मिल रोड से समय 13.00 बजे गिरफ्तार किया।